

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ईश्वरसिंह पुत्र गोप सिंह जाति राजपूत, निवासी जालीला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (18)		मुरादखां पुत्र सिद्धिक जाति मुसलमान, निवासी मत्तुजा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 18 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.01.2023	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री वृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 01.02.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव</p>	<p>नोटेस 140 25/1/2023</p>
01.2.23	<p>पत्रावली पेश हुई। जारी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के तामिलबुद्ध नोटिस पेश किए, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वयंभूत की अंतर्गत बहस का निवेदन करने पर प्रार्थी अधिवक्ता की अंतर्गत स्वयंभूत पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते अंतर्गत स्वयंभूत की बहस के निर्णय व विप्रार्थीगण का हस्तगार होकर दिनांक 03.2.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
03.02.23	<p>पत्रावली पेश हुई। जारी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी अंतर्गत बहस में निवेदन किया कि मैक</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी हुए
----------------	------------------------------------	---

19.09.25

पत्रावली फेस। प्रार्थी वकील उपस्थित।
 चूंकि इम्त आवेदन का मूल वाद निर्णित
 हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित
 होने तथा प्रार्थी को ज्ञात गला
 अदालत प्राप्त हो जाने से इम्त आवेदन
 का कोई औचित्य नहीं होने से आवेदन
 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल होकर नम्बर से कद
 होकर दायित्व दफ्त हो।

सहायक कलक्टर
 शिव (वाडमेर)